भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1297

दिनांक 09.02.2024 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ियों के बुनियादी ढांचे पर सर्वेक्षण

1297: श्री संजय काका पाटिल:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या आंगनवाड़ियों में बुनियादी ढांचे पर कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण आयोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कई आंगनवाड़ियों के पास अपना भवन और स्वच्छ शौचालय, रसोई, स्वच्छ वातावरण या स्थायी कर्मचारी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो सभी आंगनवाड़ी सेवाओं के मानकों में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (घ) 15वें वित्त आयोग में इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और अंतिम लाभार्थियों तक बेहतर पोषण प्रदायगी के उद्देश्य से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोर लड़कियों के लिए पोषण संबंधी सहायता; प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष]; आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी बुनियादी सुविधा घटकों को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पुनर्गठित किया गया है। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2020 में आंगनवाड़ी सेवाओं सहित महिला एवं बाल विकास क्षेत्र में सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया गया था। इस मूल्यांकन में आंगनवाड़ी सेवा योजना का प्रभाव संतोषजनक पाया गया। इस योजना और उसके

घटकों की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और प्राप्त सीखों, परिणामों, सुझावों तथा प्रस्तावों के आधार पर सरकार समय-समय पर उचित कार्रवाई करती है।

वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी) में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने यहां स्थित सभी आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का पूरा विवरण प्रदान करते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में पीने के पानी की सुविधाओं और शौचालयों की लागत को क्रमशः 10,000/- रुपये से बढ़ाकर 17,000/- रुपये तथा 12,000/- रुपये से बढ़ाकर 36,000/- रुपये करना शामिल है। वित्त वर्ष 2022-23 में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शौचालयों के निर्माण के लिए कुल 11620.56 लाख रुपये और पेयजल सुविधाओं के प्रावधान के लिए 6568.09 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, प्रति वर्ष 10000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से पांच वर्षों की अवधि में 50000 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का प्रावधान है। एमजीएनआरईजीएस के साथ अभिसरण में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए लागत मानदंडों को प्रति आंगनवाड़ी केंद्र 7 लाख रुपये से संशोधित कर 12 लाख रुपये कर दिया गया है, जिसमें से प्रति आंगनवाड़ी केंद्र 8.00 लाख रुपये एमजीएनआरईजीएस के तहत 2.00 लाख रुपये 15 वें वित्त आयोग (या किसी भी अन्य अनियोजित निधि) के तहत और 2.00 लाख रुपये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिए जाएंगे जिसे निर्धारित लागत हिस्सेदारी अनुपात में केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के बीच साझा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे एमपीएलएडीएस, आरआईडीएफ, पंचायती राज संस्थानों को वित्त आयोग अनुदान, नरेगा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के एमएसडीपी इत्यादि जैसी विभिन्न स्कीमों से एडब्ल्यूसी भवनों के निर्माण के लिए धन जुटाना जारी रखें।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश जारी किए गए हैं कि वे पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना किराए पर चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों को उन नजदीकी प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित करें जहां जगह उपलब्ध हो।

15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान बेहतर पोषण प्रदायगी और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत किया जाना है। सक्षम आंगनवाड़ियों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों

की तुलना में बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है जिनमें इंटरनेट/वाई-फाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, जल शोधक/आरओ मशीन लगाना और स्मार्ट शिक्षण उपकरण शामिल हैं। कुल 41192 आंगनवाड़ी केंद्रों का सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नयन करने का अनुमोदन दिया गया है और वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों को 21273.63 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने एक कार्यकर्त्री वाले सभी मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को एक कार्यकर्त्री और एक सहायिका वाले पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया है। 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वीकृत 1,16,852 मिनी-एडब्ल्यूसी में से 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 56514 मिनी-एडब्ल्यूसी के उन्नयन के आदेश जारी किए गए हैं।

हाल ही में, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए योजनाओं के प्रावधान को संतृप्त करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ अभिसरण में पीएम-जनमन के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 916 नए आंगनवाड़ी केंद्र आवंटित किए गए हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में समुचित कर्मचारी उपलब्ध हों और समुचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि अर्थात् प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को अपनाएं।

******